1

TEN RUPEES TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक निग्रह 304-III / 2010

रामसुशील शर्मा आत्मज श्री वैद्यनाथ प्रसाद शर्मा , उम्री लगभग 43 साल , पेशा वकालत , निवासी ग्राम घुरेहटा कला वार्ड क्रमांक 10 , थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र.

श्री रामसुशील शर्मा स्वयं द्वारा आज दि. 18/3/10 को प्रस्तुत।
अवर सचिव 18/03/10
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

...... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री हरिभजन तिवारी आत्म स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद तिवारी
2. श्रीमती प्रतिमा तिवारी धर्मपत्नी श्री हरिभजन तिवारी दोनो निवासी ग्राम घुरेहटा कला वार्ड क्रमांक 10 , थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र.
3. शासन म.प्र.

.... अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

पुर्नविलोकन प्रकरण अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भूराजस्व संहिता संहिता 1959ई पुर्नविलोकन विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल (डॉ. राजेश राजौरा) मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक आर 1225 –चार / 08में पारित आदेश दिनांक 22/1/ 2010 (बाइस जनवरी दो हजार दस) को अपास्त कर समुचित निर्णय पारित किए जाने बाबत ।

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त, जो वक्त तर्क पेश किए जावेगें , पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित है :–

1. यहकि, माननीय अपर कलेक्टर महोदय रीवा के समक्ष एवं माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होना निरूपित किया गया था। जिस विधिक प्रश्न का विनिश्चयन न तो माननीय अपर

SEAL OF NOTARY INDIA K. N. Pandey Area ONI. Reg. No. 695 297 18/3/2010

K.S. 18/3/10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 304–तीन/10 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2015	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर लिखित तर्क प्रस्तुत किये और उन पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परीक्षण किया गया एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22–1–2010 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित	

त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है एवं जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, उन पर आदेश में विस्तृत विवेचना की गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य